संख्या-27/2022/I/137757/2022/23-11099/2432/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2022**

विषय:- जनपद आजमगढ़ में इलाहाबाद-जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0) का चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 69.885 कि0मी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-367/पी0जे011/15पी0जे0(1)/21, दिनांक 05-08-2021 एवं पत्र संख्या-467/पी0जे011/15पी0जे0(1)/21, दिनांक 11-10-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में इलाहाबाद-जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0) का चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-356/2016/136(1)/23-11-2016-1/2(146)/16, दिनांक 19-12-2016 द्वारा लम्बाई 72.71 कि0मी0 व लागत रू0 64932.13 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत मार्ग की वास्तविक लम्बाई 69.885 कि0मी0 हो जाने एवं परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 66108.44 लाख (रू0 छः अरब इकसठ करोड़ आठ लाख चौव्वालिस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद आजमगढ़ में इलाहाबाद-जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग (एस0एच0) का चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 69.885 कि0मी0)।	64932.13	66108.44

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का कार्य प्रस्तावित किया गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही सी0ए0एल0ए0 (कम्पीटेन्ट अथारिटी आफ लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम् आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(9) प्रायोजना की आंकलित लागत में प्रस्तावित जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित न हो और नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

(10) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(11) विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय वित्त समिति की लगायी गयी शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत पोल/ट्रान्सफार्मर का विस्थापन, वाटर स्पलाई लाइन शिफ्टिंग एवं वृक्ष कटाई एवं क्षति पूर्ति का कार्य सम्बन्धित विभाग के आगणन के आधार पर लागत अनुमन्य की गयी है। सम्बन्धित विभागों से इनका वास्तविक विस्तृत आगणन के आधार पर तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(14) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का कार्य प्रस्तावित किया गया है। भूर्मि अर्जन की कार्यवाही सीएएलए (कम्पीटेन्ट अथारिटी फार लैण्ड एक्यूजीशन) के माध्यम से न्यूनतम् आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(15) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://bhoomadesh.up.nic.in

(19) प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता वर्तमान में प्रभावी है, अत: विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-356/2016/136(1)/23-11-2016-1/2(146)/16, दिनांक 19-12-2016 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-3614/दस-2021-22, दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in